



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082026-275466
CG-DL-E-14082026-275466

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4307]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 13, 2026/श्रावण 22, 1948

No. 4307]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 13, 2026/SHRAVAN 22, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2026

का.आ. 4485(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि के बिहार राज्य के सारण जिले में राम-जानकी मार्ग NH227A (सिवान-मसरख खंड) के कि.मी.0 से कि.मी.45.744 (जिला भूमि अधिग्रहण विभाग, कलेक्टरेट, सारण, छपरा) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

बिहार राज्य के सारण जिले मेंराम-जानकी मार्ग NH227A (सिवान- मसरख खंड) के कि.मी.0 से कि.मी.45.744 (जिला भूमि अधिग्रहण विभाग, कलेक्टरेट, सारण, छपरा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: बिहार			जिले का नाम: सारण		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: मसरख					
गांव का नाम: बनसोही					
1	1764	निजी	रेसिडेंशियल (आवासीय)	0.034916 (हेक्टेयर)	0.034916
2	1793	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.00453 (हेक्टेयर)	0.00453
3	1794	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.080175 (हेक्टेयर)	0.080175
4	1835	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.004046 (हेक्टेयर)	0.004046
5	1836	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.013304 (हेक्टेयर)	0.013304
6	1837	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.002428 (हेक्टेयर)	0.002428
7	1838	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.020234 (हेक्टेयर)	0.020234
8	580	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.0546326 (हेक्टेयर)	0.0546326
9	617	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.004046 (हेक्टेयर)	0.004046
10	673	निजी	कृषि (कृषि)	0.0182 (हेक्टेयर)	0.0182
गांव का नाम: चैनपुर					
11	543	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.003033 (हेक्टेयर)	0.003033
12	544	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.002024 (हेक्टेयर)	0.002024

13	545	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.02024 (हेक्टेयर)	0.02024
गांव का नाम: देउरिया					
14	1259	निजी	रेसिडेंशियल (आवासीय)	0.0235 (हेक्टेयर)	0.0235
15	159	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.004046 (हेक्टेयर)	0.004046
16	168	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.01821 (हेक्टेयर)	0.01821
17	684	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.192 (हेक्टेयर)	0.192
18	710	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.02934 (हेक्टेयर)	0.02934
19	741	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.0091 (हेक्टेयर)	0.0091
20	748	निजी	एग्रीकल्चर (कृषि)	0.01012 (हेक्टेयर)	0.01012
Total					0.5481246

[फा. सं. NHA/PIU/Chhapra/NH-227A/2nd/3a/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th August, 2026

S.O. 4485(E) .— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of RAM-JANKI MARG NH227A (SIWAN-MASRAKH SECTION) in the stretch of land from Km 0 to Km 45.744 (District Land Acquisition Department, Collectorate, Saran, chapra) in the district of SARAN in the state of BIHAR, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Land Acquisition Officer in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling **RAM-JANKI MARG NH227A (SIWAN-MASRAKH SECTION)** in the stretch of land **from 0 KM to 45.744 KM** (District Land Acquisition Department, Collectorate, Saran, chapra) **in the district of SARAN** in the state of **BIHAR**

State: BIHAR			District: SARAN		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Mashrakh					
Village: Bansohi					
1	1764	Private	Residential (Residential)	0.034916 (Hectare)	0.034916
2	1793	Private	Agriculture (Agriculture)	0.00453 (Hectare)	0.00453
3	1794	Private	Agriculture (Agriculture)	0.080175 (Hectare)	0.080175
4	1835	Private	Agriculture (Agriculture)	0.004046 (Hectare)	0.004046
5	1836	Private	Agriculture (Agriculture)	0.013304 (Hectare)	0.013304
6	1837	Private	Agriculture (Agriculture)	0.002428 (Hectare)	0.002428
7	1838	Private	Agriculture (Agriculture)	0.020234 (Hectare)	0.020234
8	580	Private	Agriculture (Agriculture)	0.0546326 (Hectare)	0.0546326
9	617	Private	Agriculture (Agriculture)	0.004046 (Hectare)	0.004046
10	673	Private	Agriculture (Agriculture)	0.0182 (Hectare)	0.0182
Village: Chainpur					
11	543	Private	Agriculture (Agriculture)	0.003033 (Hectare)	0.003033
12	544	Private	Agriculture (Agriculture)	0.002024 (Hectare)	0.002024
13	545	Private	Agriculture (Agriculture)	0.02024 (Hectare)	0.02024
Village: Deuria					
14	1259	Private	Residential (Residential)	0.0235 (Hectare)	0.0235
15	159	Private	Agriculture (Agriculture)	0.004046 (Hectare)	0.004046
16	168	Private	Agriculture (Agriculture)	0.01821 (Hectare)	0.01821
17	684	Private	Agriculture (Agriculture)	0.192 (Hectare)	0.192
18	710	Private	Agriculture (Agriculture)	0.02934 (Hectare)	0.02934
19	741	Private	Agriculture (Agriculture)	0.0091 (Hectare)	0.0091
20	748	Private	Agriculture (Agriculture)	0.01012 (Hectare)	0.01012
Total					0.5481246

[F. No. NHAI/PIU/Chhapra/NH-227A/2nd/3a/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director